Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **रामगंजमण्डी, कोटा में पटवारी एवं उसका दलाल 9 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *23 नवम्बर,* बुधवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर कोटा इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये श्रीमती प्रीती खूबचंदानी पटवारी पटवार हल्का रीछड़िया, अतिरिक्त प्रभार मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा को उसके दलाल लेखराज (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **9 हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि भूमि का नामान्तकरण खोलने की एवज में श्रीमती प्रीती खूबचंदानी पटवारी पटवार हल्का रीछड़िया, अतिरिक्त प्रभार मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा उसके दलाल लेखराज (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **9 हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, कोटा के **पुलिस अधीक्षक श्री आलोक श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्रीमती चन्द्रकंवर** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्रीमती प्रीती खूबचंदानी पत्नी स्व. श्री राकेश साड़ीजा निवासी 2–एफ–18, विज्ञान नगर, कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का रीछड़िया, अतिरिक्त प्रभार मण्डा, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा को उसके दलाल लेखराज पुत्र श्री राजाराम निवासी ग्राम कुड़ायला, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से **9 रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपी के निवास अन्य ठिकानों की तलाशी एवं पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।